न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 35 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
मुकनाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी गोदावास, तहसील कल्याणपुर, जिला बाड़मेर	1. आसुराम पुत्र रावताराम का.मु. 1/1उदाराम पुत्र आसुराम 1/2मदनलाल पुत्र आसुराम 1/3सुखाराम पुत्र आसुराम 1/4मुन्नाराम पुत्र आसुराम 2. बालूराम पुत्र रावताराम 3. किशनाराम पुत्र रावताराम जातियान जाट निवासीयान गोदावास, तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2019 बउनवान आसुराम के कायम मुकाम बनाम मुकनाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.04.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रूगाराम कड़वासरा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रतनलाल चौधरी, श्री पूनमाराम चोधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—01.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। अपीलांटस व उत्तरदातागण के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा गोदावास, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 499 रकबा 25.12 बीधा व खसरा संख्या 500 रकबा 47.15 बीघा कुल रकबा 73.07 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलाधीन आराजी उभयपक्षकारान की पैतृक भूमि है। सजरा खानदान से अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 प्रतयेक का 1/4—1/4 हिस्सा है। उपरोक्तानुसार ही अपीलांट व उत्तरदातागण के राजस्व रेकर्ड में सामलाती संयुक्त दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पचपदरा से तलब करने का आदेश पारित की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पचपदरा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार पचपदरा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई। अपीलांट के अलावा समस्त पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। मात्र अपीलांट दुर्भावना से गलत व बेबुनियाद आधारों पर अपील पेश की गई। अपील अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

(...नीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। मगर कुछ रोज पूर्व उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हक हिस्से में बेदखल की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा इस बारे में पूछताछ करने व राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 19.01.2023 को प्राप्त होने व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मय अंतिम डिक्री की नकलें दिनांक 14.02.2023 को प्राप्त होने पर जानकारी प्रथम बार हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

उत्तरदाता के अधिवक्ता ने धारा 05 परिसीमा के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलंब के एक एक दिन का हिसाब नहीं बताया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील जानकारी होने के बावजूद भी मियाद बाहर पेश की गई। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.03.2021 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षर किये गये हैं। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलार्थीगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2019 [illegible] के कायम मुकाम बनाम मुकनाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.04.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका निरीक्षण कर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाज़न प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.06.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

1/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर